भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 948

उत्तर देने की तारीख : 08.02.2024

एमएएनएफ के अंतर्गत लाभार्थी

948. श्री टी.एन. प्रथापन:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अध्येतावृत्तियों के संवितरण में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एमएएनएफ को आबंटित और नोडल एजेंसी को वितरित की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) में यूजीसी, जेआरएफ, एनएफओबीसी, एनएफएससी और एनएफएसटी जैसी अध्येतावृत्तियों के समान वृद्धि कब तक की जाएगी;

(घ) एमएएनएफ में वृद्धि को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार यह महसूस करती है कि एमएएनएफ में वृद्धि न करना लाभार्थियों के प्रति अन्याय है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार एमएएनएफ में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अधिसूचना कब तक जारी कर दी जाएगी; और

(छ) लाभार्थियों को एमएएनएफ का आगामी संवितरण कब तक किया जाएगा?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (छ): सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों सहित हर वर्ग के, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विशेष रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजनाओं सहित विभिन्न योजनाएं लागू किया है।

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) की योजना 2022-23 से बंद कर दी गई है। मौजूदा एमएएनएफ प्रशिक्षु को उनके संबंधित कार्यकाल के अंत तक अध्येतावृत्ति प्राप्त होती रहेगी, जब तक

मौजूदा दिशानिर्देश अनुपालन के अधीन हो। योजना दिशानिर्देश में प्रावधान है कि अध्येतावृत्ति की दर यूजीसी द्वारा संशोधित दर के बराबर होगी। तदनुसार, मंत्रालय ने MANF योजना के तहत अध्येतावृत्ति की दर को संशोधित किया है। MANF योजना को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसे अध्येतावृत्ति राशि केवल आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से वितरित करने का निर्देश दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित और MANF योजना के तहत वितरित निधि का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रूपए में)

2020-21		2021-22		2022-23	
आवंटित निधि	वास्तविक संवितरण	आवंटित निधि	वास्तविक संवितरण	आवंटित निधि	वास्तविक संवितरण
100.00	73.50	99.00	74.00	99.00	98.85

******